संख्या:48/2021/752/23-12-2021-609/2016

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय:- इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-5052 बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजनान्तर्गत 01 चालू कार्य हेतु कुल रू0 44.212 लाख (रू0 चौवालीस लाख इक्कीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	प्रावैधिक स्वीकृत लागत	प्रारम्भ से 31.03.21 तक क्रमिक व्यय	01.04.21 को अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	नि0ख0-1 (इ0ने0बा0) महराजगंज	खैराघाट-झुलनीपुर तथा झुलनीपुर से पतलावां मार्ग का भाग।	1024/23-12-2013-02(इ0ने0बा0)/ 11 टी0सी0, दिनांक 09.07.13	23114.00	7619.00	15495.00	44.212
			योग-	**23114.00**	**7619.00**	**15495.00**	**44.212**

(1) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-01-इण्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु व्यवस्था (के. 100/रा. 0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

सं0-48/2021/752(1)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्रीजी/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5. मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनु0-10
9. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in